



Neutral Citation No. -2026: AHC:124294

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18897/वर्ष 2026

प्रदीन उर्फ रंजीत सहानी

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्ष पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: श्री सुरेन्द्र मोहन मिश्र

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री सुरेन्द्र मोहन मिश्र, विद्वान अधिवक्ता, जिनकी ओर से श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी उपस्थित हुए तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री उमा शंकर मिश्रा को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को वाद अपराध संख्या 37/2026, अंतर्गत धारा 70(1), 3(5) बी.एन.एस., थाना-चिल्हिया, जनपद-सिद्धार्थनगर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई अभियोगात्मक सामग्री उपलब्ध नहीं है। यह भी निवेदित किया गया कि सह-अभियुक्त नूर हसन उर्फ इम्तियाज अली एवं शिवरतन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है तथा उसका नाम विवेचना के दौरान प्रथम सूचक के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज कथन में प्रकाश में आया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कथित घटना के समय आवेदक घटनास्थल के निकट पहरा देने हेतु खड़ा था। आवेदक दिनांक 20.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, तथापि, यह निवेदन किया गया कि विवेचना के दौरान प्रथम सूचक के

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथन में आवेदक का नाम प्रकाश में आया है तथा उसे कथित घटना के समय पहरा देने की भूमिका सौंपी गई है।

5. सह-अभियुक्त नूर हसन उर्फ इम्तियाज अली एवं शिवरतन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा उसके विरुद्ध बलात्कार कारित करने की कोई भूमिका आरोपित नहीं की गई है तथा प्रथम सूचक ने अपने कथन में आवेदक को केवल पहरा देने की भूमिका सौंपी है।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबित संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, के निर्णय में निहित निर्देश तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765** में प्रतिवेदित, में प्रतिपादित जमानत संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **प्रदीन उर्फ रंजीत सहानी** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक किसी स्थगन की मांग किए बिना विचारण/अन्वेषण में निष्ठा से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा कराया जाएगा।
11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की नीतिगत रणनीति, *इन री: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4/2021, 31.01.2023* को निर्णीत, (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रतिवेदित, के अनुपालन में इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित की जाए।

01 जून, 2026

अभिषेक

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)